

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली (राज.)

क्रमांक- आदेश/रिमाण्ड/ 47

दिनांक- 01.09.2026

रिमाण्ड ड्यूटी बाबत आंशिक संशोधित कार्यालय आदेश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-12 सपठित धारा-13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं श्वेता भारद्वाज, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली दिनांक 04.09.2026, 06.09.2026, 26.09.2026 व 27.9.2026 के राजकीय अवकाश में रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत न्यायिक अधिकारीगण की आपसी सहमति के आधार पर उपरोक्त दिनांकों की रिमाण्ड ड्यूटी बाबत पूर्व में जारी आदेश क्रमांक आदेश/रिमाण्ड/44 दिनांक 25.08.2026 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करते हुए आदेश पारित करती हूँ कि करौली जिला न्यायक्षेत्र के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात में रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकालिक कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य के लिए कॉलम संख्या-2 में अंकित पीठासीन अधिकारीगण को निम्नानुसार अधिकृत किया जाता है:-

माह सितम्बर 2026

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	ड्यूटी की दिनांक
01	02.	03.	04
01	श्री रणवीर चौधरी RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट, नादौती	04 व 06 सितम्बर 2026
02	श्रीमति सुमन मुण्डोतिया RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सपोटरा	27 सितम्बर 2026

नोट :- (1)- उक्तांकित दिनांक की रिमाण्ड ड्यूटी के अलावा इस कार्यालय का पूर्व आदेश क्रमांक आदेश/रिमाण्ड/44 दिनांक 25.08.2026 यथावत रहेगा।
(2)- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की अधिसूचना क्रमांक 09/ई.वी./2026 दिनांक 25.08.2026 द्वारा दिनांक 26.09.2026 का कार्यदिवस घोषित किया गया है।

निर्देश:-

- अधिकृत किए गए पीठासीन अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।
- यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के अगले दिन राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व दिवस के लिए नियत किए गए थे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली

क्रमांक- 1214, 1221

दिनांक:- 01.09.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, करौली।
- श्रीमान सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली
- श्रीमान पुलिस अधीक्षक करौली को वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
- संबंधित अधिकारी सर्व श्रीमति सुमन मुण्डोतिया, आरजेएस/ श्री रणवीर चौधरी आरजेएस
- सिस्टम अधिकारी करौली को इस निर्देश के साथ कि सभी अधिकारीगण की मेल आई डी पर आदेश भिजवावे एवं जिला न्यायालय करौली की वेबसाईट पर इस आदेश को अपलोड करें।
- प्रभारी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम, करौली।
- आदेश पत्रावली / नोटिस बोर्ड

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली